राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास

पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी

1. श्रीमति मनभर पत्नि गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. श्रीमति गीता पत्नि बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. श्रीमति कैलाशी पत्नि बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घडीश्यामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।
4. श्रीमति कमला पत्नि भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दूधली तहसील बस्सी, जयपुर।
5. बाबूलाल पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. श्रीमति शांति पत्नि स्वं सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. रमेश पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण जरिये नाबालिग जरिये बालिया माता श्रीमति शांति पत्नि सूरजमल निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. पाचूं पुत्र भैरू(फोत)
1/1 मु. नारायणी बेवा पांचू
1/2 गैंदी लाल उर्फ गेंदू
2. कन्हैयालाल
3. जगदीश पुत्रान नारायण
4. चिरंजी पुत्र मंगल्या समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहन
6. मु0 ग्यारसी बेवा मोहन
7. रामजीलाल
8. गंगाराम
9. पूर्णमल पुत्रान भौरीलाल
10. रामसहाय(फोत)
10/1 महादेव
10/2 रेवड
10/3 प्रभु पुत्रान रामसहाय
10/4 तीजा बेवा रामसहाय जाति चमार निवासी ग्राम तूंगा तह. बस्सी।
11. नानगा पुत्रान झूंथा(फोत)
11/1 जगदीश
11/2 कल्याण पुत्रान नानगा
11/3 मु. बरजी बेवा नानगा समस्त जाति बैरवा निवासीयान ग्राम तूंगा तह. बस्सी।
12. भागो बेवा भोरया
13. चिरंजी
14. ओमप्रकाश
15. लक्ष्मीनारायण
16. घनश्याम पुत्रान मंगल्या
17. रामधन
18. फैली
19. धनराज पुत्रान जगदीश नाबालिग जरिये वालिया माता विमला बेवा जगदीश
20. कजोड
21. बुद्वालाल
22. भोमा(फोत)
23. मोहन पुत्रान गोदू
24. भांगीलाल
25. विरदा पुत्रान भोज्या समस्त जाति चमार निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

26. उप पंजीयक बस्सी।
27. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज, दुरूस्ती, बेदखली एवं स्थायी– निषेधाज्ञा

मुकादमा नंबर–233/08 दिनांक 10.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट तूंगा में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा ने की है। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। खसरा नं. 285 लगा 293, 298 लगा. 304, 306 लगा. 341, 355 लगा. 365 कुल किता 63 कुल रकबा 17.82 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं चाह खसरा नम्बर 305 रकबा 0.03 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे वादीगण को वादपत्र पर केम्प कोर्ट स्थल पर सुना गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 01आर10 व 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र 022आर4 व 9 सीपीसी तथा प्रा. पत्र 151 सीपीसी पर वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वादी को प्रार्थना पत्रों पर सुनने के पश्चात लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार प्रार्थना पत्र 01आर10 व प्रार्थना पत्र 022आर4 व 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 10 तथा 1 व 11 के वारिसो को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 22 के नाम के आगे लाल स्याही से फौत अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं वादी को संशोधन पेश करने की हिदायत दी जाती हैं। केम्प कोर्ट स्थल पर तहसीलदार बस्सी से वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसमें सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं वादीगण को वादपत्र पर सुनने एंव वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करने तथा उपस्थित मौतबिरान से जानकारी लेने के पश्चात एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 245 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बिस्वा, 248 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 285 लगा 293, 298 लगा. 304, 306 लगा. 341, 355 लगा. 365 कुल किता 63 कुल रकबा 17.82 हैक्टेयर एवं चाह खसरा नम्बर 305 रकबा 0.03 हैक्टेयर एकीकरण खतौनी 2019 खसरा नं. 53 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 55 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 56 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 70 बीघा 11 बिस्वा ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध मे तहसीलदार बस्सी से पुराने रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज परताप के द्वारा गोदू पुत्र भैरू, रामू पुत्र कालू, भौरया पुत्र झूथ्या, मोज्या पुत्र चन्दरा, कौम बलाई बैरवा साकिन करणगढ को उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय से आज दिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है अर्थात उक्त विक्रय पत्र आज भी वैध है। ऐसी स्थिति में वादीगण का कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नही बनता है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के खातेदार के नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी को चाही गयी रिलीफ दिया जाना न्यायोचित नही समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हों।

आज दिनांक 10.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट तूंगा में मजमें आम में सुनाया गया।

10.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. श्रीमति मनभर पत्नि गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. श्रीमति गीता पत्नि बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. श्रीमति कैलाशी पत्नि बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घडीश्यामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।
4. श्रीमति कमला पत्नि भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दूधली तहसील बस्सी, जयपुर।
5. बाबूलाल पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. श्रीमति शांति पत्नि स्वं सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. रमेश पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण जरिये नाबालिग जरिये बालिया माता श्रीमति शांति पत्नि सूरजमल निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. पाचूं पुत्र भैरू(फोत)
1/1 मु. नारायणी बेवा पांचू
1/2 गैंदी लाल उर्फ गेंदू
2. कन्हैयालाल
3. जगदीश पुत्रान नारायण
4. चिरंजी पुत्र मंगल्या समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहन
6. मु0 ग्यारसी बेवा मोहन
7. रामजीलाल
8. गंगाराम
9. पूर्णमल पुत्रान भौरीलाल
10. रामसहाय(फोत)
10/1 महादेव
10/2 रेवड
10/3 प्रभु पुत्रान रामसहाय
10/4 तीजा बेवा रामसहाय जाति चमार निवासी ग्राम तूंगा तह. बस्सी।
11. नानगा पुत्रान झूंथा(फोत)
11/1 जगदीश
11/2 कल्याण पुत्रान नानगा
11/3 मु. बरजी बेवा नानगा समस्त जाति बैरवा निवासीयान ग्राम तूंगा तह. बस्सी।
12. भागो बेवा भोरया
13. चिरंजी
14. ओमप्रकाश
15. लक्ष्मीनारायण
16. घनश्याम पुत्रान मंगल्या
17. रामधन
18. फैली
19. धनराज पुत्रान जगदीश नाबालिग जरिये वालिया माता विमला बेवा जगदीश
20. कजोड
21. बुद्वालाल
22. भोमा(फोत)
23. मोहन पुत्रान गोदू
24. मांगीलाल
25. विरदा पुत्रान भोज्या समस्त जाति चमार निवासी ग्राम तूंगा तहसील

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd...2

बस्सी जिला जयपुर।
26. उप पंजीयक बस्सी।
27. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज, दुरूस्ती, बेदखली एवं स्थायी– निषेधाज्ञा

दिनांक 10.05.2018

मुकादमा नंबर–233/08

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 245 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बिस्वा, 248 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 285 लगा 293, 298 लगा. 304, 306 लगा. 341, 355 लगा. 365कुल किता 63 कुल रकबा 17.82 हैक्टेयर एवं चाह खसरा नम्बर 305 रकबा 0.03 हैक्टेयर एकीकरण खतौनी 2019 खसरा नं. 53 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 55 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 56 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 70 बीघा 11 बिस्वा ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध मे तहसीलदार बस्सी से पुराने रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज परताप के द्वारा गोदू पुत्र भैरू, रामू पुत्र कालू, भौरया पुत्र झूथ्या, मोज्या पुत्र चन्दरा, कौम बलाई बैरवा साकिन करणगढ को उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय से आज दिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है अर्थात उक्त विक्रय पत्र आज भी वैध है। ऐसी स्थिति में वादीगण का कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नही बनता है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के खातेदार के नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी को चाही गयी रिलीफ दिया जाना न्यायोचित नही समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। ....निजी..................मुबलिक......................बाबत..खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.18 को जारी किया गया।

दस्तख्त.......................... (हस्ताक्षर) 10.5.18
मोहर
ओहदा..........................

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

(मोहर: सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी